6/8/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। प्रतिवादी सरकार का जवाब प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली हो. बाद बहस हेतु पत्रावली दिनांक 13.8.25 को पेश हो।

13.8.25- पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। पत्रावली में वकीलवादी की बहस सुनी गई। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात पर मनन किया गया। वादी का दावा स्वीकार किया जाता है। पत्रावली में निर्णय पृथक से तैयार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसलशुदा होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
अराँई (अजमेर)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम अराई (अजमेर)

व इजलास श्री मति नीतू मीना (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 1/2024 **उनवान** सत्यनारायण **बनाम** जमना

सत्यनारायण पुत्र श्रवण, जाति जाट, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी लाम्बा, तहसील अराई, जिला अजमेर, राजस्थान

अपीलार्थी / अपीलान्ट

बनाम

1- जमना देवी पत्नि स्व. सत्यनारायण, जाति जाट, निवासी लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान

2- कंचन पुत्री स्व. सत्यनारायण, जाति जाट, निवासी लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान

3 गोरा जाट पुत्री स्व. सत्यनारायण, जाति जाट, निवासी लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान

4- शंकर लाल चौधरी पुत्त्र स्व. सत्यनारायण, जाति जाट, निवासी लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान

5- नाबालिग रेखा चौधरी पुत्री स्व. सत्यनारायण, जाति जाट, निवासी लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता जमना देवी पत्नि स्व. सत्यनारायण, जाति जाट, निवासी लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान

6- गणेश पुत्र श्रवण, जाति जाट, निवासी लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान

7- गणेशी पुत्री श्रवण, जाति जाट, निवासी लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान

8- मोहनी पत्नि श्रवण, जाति जाट, निवासी लाम्बा, तहसील अराई, जिला अजमेर, राजस्थान

9- लक्ष्मण पुत्र श्रवण, जाति जाट, निवासी लाम्बा, तहसील अराई, जिला अजमेर राजस्थान

10- राज्य सरकार जरिये तहसीलदार अरांई जिला अजमेर राजस्थान

अप्रार्थी गण

वाद अन्तर्गत अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 नामान्तरण संख्या 2823

दिनांक 09-01-2023

<u>आदेश</u>

निर्णय दिनांक 13.8.25
उपस्थित : वकील वादी दौराने बहस

संक्षिप्त में वाद का सार इस प्रकार है कि वादी की ओर से वकील श्री योगेश शर्मा ने उपस्थित होकर एक वाद अन्तर्गत धारा 75 अपील अन्तर्गत राज.का.अधि.1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 6 लगायत 9 की सहखातेदारी कृषि भूमि वाके ग्राम लाम्बा, पटवार हल्का लाम्बा, भू.अ.नि.क्षेत्र लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान में खसरा संख्या 671 क्षेत्रफल 0-7042 हैक्टेयर (किस्म बंजर–1

(0-4128), बारानी–1 (0- 2914), खसरा संख्या 683 क्षेत्रफल 0-4209 हैक्टेयर (किस्म च.डोल (0-0162), नहरी–2 (0-4047), खसरा संख्या 693 क्षेत्रफल 1-7644 हैक्टेयर (किस्म चाही–3 (0-5585), नहरी–4 (0-6394), किस्म बंजर–2 (0-3885), बारानी–1 (0-1780), कुल खसरा–03 का कुल क्षेत्रफल 2-8895 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिसमें अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 6 लगायत 9 का प्रत्येक का 1/5-1/5 हिस्सा अर्न्तनिहित है। 2- यह कि उपरोक्त कृषि भूमि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 6 लगायत 9 की पुश्तैनी कृषि भूमि है जो उनके पिता श्री श्रवण जी के स्वर्गवास के पश्चात उनको जरिये विधिक वारिसान के रूप मे प्राप्त हुई है । उक्त श्रवण जी के अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 6 लगायत 9 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के धारा 8 के अनुसार प्रथम श्रेणी के विधिक वारिस है । अपीलार्थी ने अपनी निहित हिस्सा कृषि भूमि की जमाबंदी की नकल ली तो पता चला कि राजस्व रिकार्ड में गलत तरिये से अपीलार्थी का विरासती नामान्तरण संख्या 2823 दिनांक 09.1.2023 को प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 5 के नाम दर्ज हो गया है । जिससे अपीलार्थी के हित अधिकार प्रभावित हुय है । अपीलार्थी ने अपील में निवेदन किया है कि ग्राम लाम्बा, पटवार हल्का लाम्बा, भू. अ.नि.क्षेत्र लाम्बा, तहसील अराई, जिला अजमेर, राजस्थान में खसरा संख्या 671 क्षेत्रफल 0-7042 हैक्टेयर (किस्म बंजर–1 (0-4128), बारानी–1 (0- 2914), खसरा संख्या 683 क्षेत्रफल 0-4209 हैक्टेयर (किस्म च.डोल (0-0162), नहरी–2 (0-4047), खसरा संख्या 693 क्षेत्रफल 1-7644 हैक्टेयर (किस्म चाही–3 (0-5585), नहरी–4 (0-6394), किस्म बंजर–2 (0-3885), बारानी–1 (0-1780), कुल खसरा–03 का कुल क्षेत्रफल 2-8895 हैक्टेयर भूमि के बाबत अपीलार्थी के हित अधिकारो के विपरीत प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 5 के नाम दर्ज किया गया है को अपास्त कर अपीलार्थी का नाम पुनः राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने की कृपा करावे ।

वादी का वाद दिनांक 20.2.2024 को वाद को रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी करवाई गयी । दिनांक 12.4.2024 को अप्रार्थीगण 1 लगायत 9 उपस्थित होकर सहमति का जवाब वास्ते अपील स्वीकार करन बाबत पेश किया । पेरोकार सरकार तहसीलदार अराई से जवाब लिया गया । पेरोकार सरकार तहसीलदार अराई के जवाब अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में जीवित है । ग्राम लाम्बा में सत्यनारायण पुत्र श्रवण जाट नाम से दो व्यक्ति होने के कारण खाता संख्या 413 ख0नं0 693,671,683 मे नामान्तकरण संख्या 2823 में गलत विरासत खोल दी जिसका प्रार्थी जीवित होने व अन्य सत्यनारायण पुत्र श्रवण जाति जाट होने का मौका पर्चा सलग्न है । मौके पर प्रार्थी काबिज काश्त है । नामान्तकरण निरस्त करने योग्य है । खाता संख्या 413 किता 3 में पुनः सत्यनारायण पुत्र श्रवण जाति जाट हिस्सा 1/5 दर्ज करने योग्य है ।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार वाद पत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि ग्राम लाम्बा, पटवार हल्का लाम्बा, भू.अ.नि.क्षेत्र लाम्बा, तहसील अराई, जिला अजमेर, राजस्थान में खसरा संख्या 671 क्षेत्रफल 0-7042 हैक्टेयर (किस्म बंजर–1 (0-4128), बारानी–1 (0- 2914), खसरा संख्या 683 क्षेत्रफल 0-4209 हैक्टेयर (किस्म च.डोल (0-0162), नहरी–2 (0-4047), खसरा संख्या 693 क्षेत्रफल 1-7644 हैक्टेयर (किस्म चाही–3 (0-5585), नहरी–4 (0-6394), किस्म बंजर–2 (0-3885), बारानी–1 (0-1780), कुल खसरा–03 का कुल क्षेत्रफल 2-8895 हैक्टेयर भूमि के बाबत अपीलार्थी के हित अधिकारो के विपरीत प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 5 के नाम दर्ज किया गया नामान्तकरण संख्या 2823 दिनांक 09.01.2023 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार अराई को तहरीर जारी की जाती है कि वेअपीलार्थी का नाम पुनः राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर अमल दरामद करे ।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13.08.2025 **को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया ।**

उपखण्ड अधिकारी

अंराई (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
अंराई (अजमेर)